



# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम) CIN:U40109MP2001SGC014880

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर (म.प्र.), -482008(MP) दूरभाष:- (0761) 2702041,

फैक्स:- (0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई-1/238

जबलपुर, दिनांक 15 JAN 2019

## विज्ञापन

कार्यालय सहायक श्रेणी-3 (संविदा) के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन (केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए)

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जो कि म.प्र. शासन का एक उपक्रम है, में कार्यालय सहायक श्रेणी-3 (संविदा) के अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों से विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक 17 में इंगित कार्यक्रमानुसार **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम-2018 की शर्तों एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अधीन होगी। संभावित रिक्तियों निम्नानुसार है:-

क्रं.	पद का नाम	संभावित पदों की संख्या	कुल पद
1	कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन (संविदा)	07 अनुसूचित जनजाति (02 पद अनु.जनजाति महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)	07

टीप-

- पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या विज्ञापन स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।
- जिन आवेदकों द्वारा कार्यालय सहायक श्रेणी-3 (संविदा) के पद हेतु प्रकाशित कंपनी के पूर्व विज्ञापन क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई-1/2347, दिनांक 22.07.2017 के विरुद्ध आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथापि उन पर म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें)-नियम 2016 के स्थान पर "म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें)-संशोधित नियम 2018" में अंकित संविदा सेवा शर्त लागू होंगी।

### 1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता :

1.1 बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

1.2 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कोई एक कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक होगा:-

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

.....2.

